न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2021 (डूंगरपुर डिकी)

शंकरलाल पिता रामजी रोत मीणा, निवासी पारडा सरोदा, फला झीबुला, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. नाथू पिता फूला रोत मीणा, निवासी पारडा सरोदा, फला झीबुला, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती नाथी पत्नी मणीया रोत मीणा, निवासी पारडा सरोदा, फला झीबुला, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. मणीलाल उर्फ मणिया पिता नाथू (फोत) जाति भील मीणा, निवासी पारडा सरोदा, फला झीबुला, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. जवाहरलाल पिता थावरा रोत मीणा, निवासी पारडा सरोदा, फला झीबुला, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा
दिनांक 10.08.2021 प्र.सं. 55/2005

——/——

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री डी.सी. चौबीसा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

——::——

निर्णय दिनांक 07–03–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही पड़दादा रंगा जी के वंशज हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित सजरा ... फूला, नानजी व खातरा हुए, जिसमें खातरा लाऔलाद फो... खातरा की मृत्यु पर उसकी जमीन का नामान्तरकरण ... ने अपने ... मणिया के नाम करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:34:53 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

लिया। मणिया उर्फ मणीलाल विपक्षी संख्या 3 होकर फोत हो चुका है। नाथू ने कृष्ण गोपाल भील एवं मणीलाल पिता गलजी मीणा से मिलकर षडयंत्र पूर्वक कूटरचित खातरा की आराजी नंबर 5101, 5162, 5175, 5490, 5531, 5536, 5539, 5542, 5606, 5607, 5635, 5642, 5643, 5645 का वसीयतनामा अपने पुत्र मणिया के नाम रजिस्ट्रार सागवाडा में दिनांक 12–10–1988 को निष्पादित करवाया है। मणिया की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी सम्पत्ति पर उसकी पत्नी नाथी व पुत्र काबिज हैं। खातरा ने कभी भी वसीयतनामा मणिया के पक्ष में निष्पादित नहीं किया है। खातरा के फर्जी हस्ताक्षर हैं। उक्त भूमि विपक्षीगण के नाम हो जाने से प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः वादीगण के हित में सर्वकालिक घोषणा की जावे कि एनेक्सर 2 में वर्णित जमीन का मालिकाना हक वादीगण को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रतिदावा प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु हो जाने के पश्चात भी उसे पक्षकार बनाया गया है तथा वसीयतनामा कूटरचित नहीं होकर वैध है। मणीलाल द्वारा उक्त भूमि का किसी को अन्तरण नहीं किये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 हकदार होने से उसे खातेदार घोषित किया जावे तथा वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 5 तनकियां कायम की तथा अपने निर्णय दिनांक 10–08–2021 से वादीगण का वाद खारिज किया तथा प्रतिवादीगण का प्रतिदावा स्वीकार करते हुए उन्हें वादग्रस्त आराजियात का खातेदार घोषित किया एवं वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 27–08–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री लालसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल पाटीदार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय [illegible] उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:34:53 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना नहीं कर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने जिन तनकियों को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, जिन्हें प्रतिवादीगण साबित करने में असफल रहें हैं, फिर भी प्रतिवादीगण को लाभ पहुंचाने की गरज से उनका प्रतिदावा स्वीकार करने में भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय में तथाकथित वसीयनामा प्रदर्श 2 को अपीलान्ट ने फर्जी व बनावटी होना सिद्ध किया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया कि वसीयतनामा फर्जी होने के संबंध में वादी द्वारा कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की गयी है। वादी/अपीलान्ट अशिक्षित व ग्रामीण काश्तकार होने से उसे कानून की जानकारी नहीं है, लेकिन यदि न्यायालय के ज्ञान में कोई दस्तावेज फर्जी व बनावटी होना पाया जाता है तो न्यायालय स्वयं आपराधिक कार्यवाही करने हेतु सक्षम है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि अनुरूप बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 में विवादित आराजी नंबर 5101, 5162, 5175, 5490, 5531, 5536, 5539, 5542, 5606, 5607, 5635, 5642, 5643, 5645 कुल किता 14 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातरा पिता रंगा भील के खातेदारी में दर्ज है तथा प्रदर्श 2 अनुसार खातरा द्वारा उक्त आराजियात की रजिस्टर्ड वसीयतनामा मणीलाल पिता नाथू भील के पक्ष में किया जाना स्पष्ट है। अपीलान्ट/वादीगण ने उक्त वसीयत को फर्जी बताया है, किन्तु इस बाबत् उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई आपराधिक कार्यवाही रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने [illegible] उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए अपीलान्ट/वादीगण [illegible] वाद [illegible] किया है तथा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी मृतक [illegible] के विधि[illegible]वारिस होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:34:53 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित करते हुए अपीलान्ट/वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–08–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 07–03–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:34:53 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

शंकरलाल पिता रामजी रोत मीणा, नि0 पारडा सरोदा, फला झीबुला, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर — बनाम — नाथू पिता फूला रोता मीणा, निवासी पारडा सरोदा, फला झीबुला, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर व अन्य

अपील नं.....12/2021.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....सागवाडा..... मुकाम.....मुवर्खे.....10.....माह.....08.....2021

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....07....माह.....03.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान व हाजरी...श्री डी. सी. चौबीसा ....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री लालसिंह चुण्डावत

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 10–08–2021 यथावत रखी जाती है।.

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....07.....माह.....03.....2024 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:34:53 IST
Reason: SelfAttested